सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-211/2021/1650/22-2-2021-17(262)/2017
लखनऊ: दिनांक: 16 नवम्बर, 2021

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बच्चूलाल (बन्दी संख्या-27/13) पुत्र श्री बंगा, निवासी-ग्राम-मवईया, थाना-चोलापुर, जनपद-वाराणसी, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-327/1981 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 323/34 के अधीन दिनांक 25.03.1982 को मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.11.2009 द्वारा यथावत रखा गया, उक्त बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2021 तक 12 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 05 माह 28 दिना की सपरिहार सजा भोगी गयी है, की वृद्धावस्था, कारावास में भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी द्वारा पुनर्विचारित आख्या में की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-211/2021/1650(1)/22-2-2021 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in